46

पत्रांक : 11 / वि 1–50 / 2013.........

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

आर०पी०एस० 'रंजन' (भा०प्र०से०)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत,
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक।

पटना, दिनांक : ...., 2016

विषय : **बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के अद्यतन रिक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20.01.16 (छाया प्रति संलग्न) एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को प्रावधानित करते हुए रोस्टर बिन्दु का निर्धारण कराने के संबंध में निदेश दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में भी निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त विषयांकित विषय के संबंध में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय :–

1. दिनांक 17.06.2016 को पंचम चरण नियोजन अन्तर्गत शिक्षक नियोजन के संबंध में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का नियोजन इकाईवार रिक्ति प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था :–

नियोजन इकाई का नाम	विद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत पद नियमित / नियोजित विषयवार	विषयवार कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या (31.12.15)	विषयवार नये वेतनमान पर कार्यरत शिक्षक की संख्या	रिक्ति विषयवार
1	2	3 (4+5+6) (31.12.15)	4	5	6 (3–4+5)

खेद के साथ कहना है कि किसी भी जिले से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संदर्भ में आपको निदेशित किया जाता है कि आगामी 22 एवं 23.08.16 को प्रमंडलवार आयोजित बैठक में उक्त प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.12.15 तक विद्यालयवार उपलब्ध रिक्ति एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये रिक्ति की भी गणना उपरोक्त प्रपत्र मे निश्चित रूप से की जाय।

2. विभागीय पत्रांक 924 दिनांक 09.06.16 एवं 1010 दिनांक 05.07.16 के आलोक में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए निदेशानुसार चिह्नित रिक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20.01.16, पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 एवं पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हेतु रोस्टर बिन्दु का निर्धारण कर पुनः आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। तदोपरांत प्रकाशित विज्ञप्ति में भी संशोधन कर इसे पुनः प्रकाशित की जाय।

3. संशोधित प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(आर०पी०एस० 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक– 11/वि 1–50/2013..1958
पटना, दिनांक..13/08./2016

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/08/2016
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

संशोधित नियोजन कार्यक्रम

क्र०	गतिविधि	निर्धारित तिथि
(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर नियोजन इकाईवार अद्यतन रिक्ति के आधार पर विषयवार रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों का प्रेषण / सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन	22-08-2016 तक।
(ii)	(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20.01.16, पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 एवं पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.16 में प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि के महिलाओं एवं राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतिनी अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि (ख) वैसे नियोजन इकाई जहाँ पंचम चरण अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, मात्र वैसे नियोजन इकाई उपरोक्त कोटि के अतिरिक्त अन्य कोटि के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति	24-08-2016 से 23-09-2016 तक
(iii)	क्रमांक 2 में आवेदित अभ्यर्थियों एवं पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों की की समेकित मेधा सूची की तैयारी	26-09-2016 से 30-09-2016 तक
(iv)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	04-10-2016 तक
(v)	मेधा सूची का प्रकाशन	05-10-2016
(vi)	मेधा सूची पर आपत्ति	06-10-2016 से 20-10-2016 तक
(vii)	आपत्तियों का निराकरण	27-10-2016
(viii)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	31-10-2016
(ix)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान / जाँच	02-11-2016 से 06-11-2016 तक
(x)	जिला परिषद् एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	09-11-2016
(xi)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	11-11-2016
(xii)	जिलास्तर पर सभी नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना – नगर निगम नगर परिषद् नगर पंचायत जिला परिषद्	 14-11-2016 14-11-2016 14-11-2016 14-11-2016 –

13/08/2016
(आर०पी०एस० रंजन)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Desktop/Ltr.18.02.16